न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

पीठासीन अधिकारीः— श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण सख्या : 22/2021

01. रामदेव
02. नरेन्द्र कुमार उर्फ महेन्द्र कुमार } पिसरान प्रहलाद जातिगण बैरवा निवासीगण सीमल्या तहसील मांगरोल
03. दिनेश कुमार

.....प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

01. गोबरीललाल
02. राधेश्याम
03. संजय कुमार
04. जगदीशी बाई
05. विद्या बाई
06. द्वारक्या बाई

} पिसरान भागीरथ जातिगण बैरवा निवासीगण माल बमोरी तहसील मांगरोल

07. गौरां बाई
08. रामप्यारी बाई
09. हजारी बाई

} पिसरान मोतीलाल जातिगण बैरवा निवासीगण माल बमोरी तहसील मांगरोल

10. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आ0 टी0 एक्ट

वकील प्रार्थीगण : श्री महेन्द्र सिंह हाडा

वकील अप्रार्थीगण : श्री अमित कुमार गौड़

दायरा दिनांकः 05.07.2021

निर्णय दिनांक : 16.03.2022

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि खाता संख्या 311 पुराना खात संख्या 287 खसरा नं. 1092 रकबा 1.15 है0,खसरा नं. 262 रकबा 0.36 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.51 है0 वाके ग्राम माल बमोरी तहसील मांगरोल में स्थित है । इस आराजी में प्रार्थीगण 1 ता 3 व अप्रार्थीगण नं. 7 ता 9 शामलाती खातेदार है। यह कि पूर्व खातेदार बाबूलाल, रूकमा बाई पिसरान मोती व मुसम्मत पाना बेवा मोती जाति चमार ने दिनांक 29.06.1996 को प्रार्थना–पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी का 1/2 हिस्सा प्रार्थीगण की नाबालिग अवस्था में प्रार्थीगण के नाम से उनके पिता प्रहलाद जी ने जर्ये रजिस्ट्री विकय–पत्र खरीदा था।

यह कि विकेता पूर्व खातेदार ने खसरा नं. 1092 रकबा 1.15 है0 में प्रार्थीगण को 1/2 हिस्सा लगभग 76 ऐयर पर मौके पर जाकर प्रार्थीगण को कब्जा सम्भला दिया और प्रार्थीगण लगभग 25 वर्षो से वर्तमान तक लगातार खसरा नं. 1092 रकबा 76 ऐयर पर काबिज काश्त है। शेष रकबे पर अप्रार्थी नं. 7 ता 9 से काबिज काशत है। इनसे कोई परेशानी नही है परन्तु जमाबंदी में नाम होने से इनको पक्षकार बनाया जा रहा है। इनके विरूद्ध किसी भी प्रकार की रिलीफ नही चाही गयी है। यह कि हाल खाता संख्या 75 पुराना खाता संख्या 66 ग्राम माल बमोरी में खसरा नं. 1092/1217 रकबा 0.58 है0, खसरा नं. 1457 रकबा 0.92 है0 कुल किता 2 कुल रबा 1.50 है0 आराजी स्थित है। यह आराजी अप्रार्थी नं. 1 लगायत 6 के खाते में दर्ज हो रही है। सम्पूर्ण आराजी को अप्रार्थी नं. 1 ता 3 काश्त कर रहे है। अप्रार्थी नं. 4 ता 6 जमाबंदी में नाम होने से पक्षकार बनाया जा रहा है लेकिन

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज0)

Scanned by CamScanner

इनके विरूद्ध कोई रिलीफ नही चाही गयी है। प्रार्थीगण सिर्फ अप्रार्थीगण नं. 1 ता 3 को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द कराना चाहते है।

यह कि प्रार्थीगण हाल खाता संख्या 311 के खसरा नं. 1092 रकबा 1.15 है0 मे से 76 ऐयर पर काबिज काश्त है। और अप्रार्थी नं. 1 ता 7 खाता संख्या 75 की आराजी 1.50 है0 पर काबिज काश्त है। लेकिन अप्रार्थी नं. 1 लगायत 3 बलपूर्वक प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं. 1092 पर दखल अन्दाजी करने की धमकी देने लगे है कि इस जमीन को हम काश्त करेगे। अप्रार्थी कम 1 ता 3 के अवैध कृत्य से प्रार्थीगण के लिए यह आवश्यक हो गया है कि प्रार्थीगण अप्रार्थी नं. 1 ता 3 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करे जिससे अप्रार्थी नं. 1 ता 3 प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दखलअंदाजी ना करे। यह कि प्रार्थीगण खसरा नं. 1092 में 0.76 है0 पर लगातार 25 वर्षो से काश्त करते चले आ रहे है। पूर्व में अप्रार्थीगण द्वारा कोई आपत्ति नही की गई किन्तु अब अप्रार्थीगण जबरन दखलअंदाजी कर आराजी को हडपना चाहते है। यह कि प्रार्थीगण का प्राईमाफेसी केस है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष मे है। अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः ताफैसला वाद प्रार्थीगण के पक्ष मे अप्रार्थी कम 1 ता 3 के विरूद्ध एक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावें कि खाता संख्या 311 ग्राम माल बमोरी तहसील मांगरोल में दर्ज आराजी खसरा नं. 1092 रकबा 1.15 है0 मे से 76 ऐयर पर अप्रार्थी जबरन दखलअंदाजी ना करे एवं प्रार्थीगण को शांति पूर्वक तरीके से काश्त करने दिया जाये।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 05.07.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण 1 ता 6 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसका संक्षिप्त विवरण यह है कि–

जवाब प्रार्थना–पत्र–

1. प्रार्थना पत्र की मद नं. 01 व 2 आंशिक स्वीकार है।
2. प्रार्थना पत्र की मद नं. 03 अस्वीकार है।
3. प्रार्थना पत्र की मद नं. 04 आंशिक स्वीकार है।
4. प्रार्थना पत्र की मद नं. 05, 06 व 07 अस्वीकार है।

प्रार्थीगण की शामलाती खाते की आराजी खाता संख्या 311 खसरा नं. 1092 रकबा 1.15 है0 खसरा नं. 262 रकबा 0.36 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.51 है0 वाके ग्राम मालबमोरी तहसील मांगरोल में स्थित है। जिसमें प्रार्थीगण 1/6– 1/6 हिस्से में खातेदार है। प्रार्थीगण द्वारा तथ्यो को छिपाकर पेश किया गया है। खसरा नं. 1092 व खसरा नं. 262 लगभग 4–5 किलोमीटर के अन्तराल में स्थित है। अप्रार्थी कम 1 ता 6 का खसरा नं. 1092/1217 व प्रार्थीगण का खसरा नं. 1092 की एक ही मेड है। प्रार्थीगण जबरन ताकत के बल पर 0.75 है0 की पूर्ति अप्रार्थीगण के हिस्से की आराजी खसरा नं. 1092/1217 मे से करना चाहते है। प्रार्थीगण मेड को बार–बार तोड देते है और अतिक्रमण करने पर आमदा रहते है जिसके संबंध में रिपोर्ट थाना मांगरोल में करवाकर प्रार्थीगण को पाबन्द भी करवाया जा चूका है। दिनांक 17.06.2021 को आराजी खसरा नं. 1092/1217 का सीमाज्ञान तहसीलदार के आदेशानुसार हल्का पटवारी द्वारा किया गया जिसमें मेडबन्दी कायम की जिसे प्रार्थीगण द्वारा पूनः तोड दिया गया। प्रार्थीगण का खसरा नं. 1092 रकबा 1.15 है0 में हिस्सा 0.57 है0 ही बनता है लेकिन प्रार्थीगण द्वारा अपना हिस्सा जबरन रकबा 0.76 है0 बताना अतिक्रमण की मंशा दर्शाता है। इस प्रकार अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्योयोचित नही होगा।

काउन्टर प्रार्थना पत्र –

अप्रार्थीगण 1 ता 6 की ओर से काउन्टर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अप्रार्थी कम 1 ता 6 के खाते की आराजी खाता संख्या 75 खसरा नं. 1092/1217 रकबा 0.58 है0 खसरा नं. 1457 रकबा 0.92 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.50 है0 वाके ग्राम मालबमोरी तहसील मांगरोल में स्थित है। जबकि प्रार्थीगण के खाते की आराजी खसरा नं. 1092 रकबा 1.15 है0, खसरा नं. 262 रकबा 0.36 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.51 है0 वाके ग्राम माल

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज०)

Scanned by CamScanner

बमोरी तहसील मांगरोल में स्थित है जिसमें प्रार्थीगण का हिस्सा 1/6–1/6 कुल 1/2 है अर्थात प्रार्थीगण का खसरा नं. 1092 में हिस्सा 0.57 है0 और खसरा नं. 262 में हिस्सा 0.18 है0 नियत है लेकिन मेड लगवा होने के कारण अप्रार्थीगण के हिस्से की आराजी भूमि पर अतिक्रमण करने पर आमदा है। अन्य कारण दौराने बहस निवेदन किये जायेगे। यह कि अप्रार्थी कम 1 ता 6 का काउन्टर प्रार्थना पत्र ठोस तथ्यो पर आधारित है । अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाकर ताफैसला वाद/काउन्टर क्लेम जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रार्थीगण को पाबन्द किया जावें कि अप्रार्थी कम 1 ता 6 की आराजी पर किसी प्रकार से दखल अन्दाजी व अतिकमण न करे और शान्ति पूर्वक काश्त करने देवे।

जवाब उल जवाब प्रार्थना पत्र–

प्रार्थीगण की ओर से उक्त काउन्टर प्रार्थना पत्र के जवाब में जवाब उल जवाब पेश किया गया जिसका संक्षिप्त विवरण यह है कि खाता संख्या 75 अप्रार्थीगण के कब्जे व स्वामित्व का है और खाता संख्या 311 प्रार्थीगण का है । दोनो खाते पृथक पृथक है। प्रार्थीगण ने 25 वर्षो से खसरा नं. 1092/1217 रकबा 1.15 है0 के 0.76 है0 पर काबिज काश्त है। गत 25 वर्षो से अप्रार्थी कम 1 ता 6 इस रकबे पर काबिज काश्त नही है। प्रार्थीगण ने कभी भी अप्राथीगण के हिस्से की आराजी भूमि पर अतिकमण नही किया है और न की कभी मेड तोडी है। अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 17.06.2021 को करवाया गया सीमाज्ञान प्राथीगण की अनुपस्थिति में करवाया गया। सीमाज्ञान रिपोर्ट में यह स्पष्ट नही है कि अप्रार्थीगण नं. 1 ता 6 की आराजी का कितना हिस्सा प्रार्थीगण की तरफ या अन्य पक्षकार की तरफ निकलता है यदि सीमाज्ञान की रिपोर्ट को सही भी माना जावें तो भी कब्जा आराजी पर प्रार्थीगण का सिद्ध होता है। अतः काउन्टर प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

प्रस्तुत वाद में प्रार्थीगण खसरा नं. 1092 रकबा 1.15 है0 वाके ग्राम मालबमोरी में रिकार्डेड खातेदार एवं कब्जा काश्त है। अप्रार्थीगण खसरा नं. 1092/1217 रकबा 0.58 है0 वाके ग्राम मालबमोरी में रिकार्डेड खातेदार एवं कब्जा काश्त है। पक्षकारान के खाते की रिकार्डेड आराजीयात लगवा व एक ही मेड पर है जिस कारण वाद उत्पन्न हुआ है। प्रस्तुत वाद में प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी कम 1 ता 3 के विरूद्ध एक अस्थायी निषेधाज्ञा इस आश्य से चाही गई है कि खाता संख्या 311 ग्राम माल बमोरी तहसील मांगरोल में दर्ज आराजी खसरा नं0 1092 रकबा 1.15 है0 मे से 76 ऐयर पर अप्रार्थी जबरन किसी प्रकार की दखलअंदाजी ना करे, बलपूर्वक प्रवेश ना करे एवं शांतिपूर्वक काश्त करने देवे। अप्रार्थी कम 1 ता 3 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्ध एक अस्थायी निषेधाज्ञा इस आश्य से चाही गई है कि खाता संख्या 75 ग्राम माल बमोरी तहसील मांगरोल में दर्ज आराजी खसरा नं0 1092/1217 रकबा 0.58 है0 मे प्रार्थीगण किसी प्रकार की दखलअंदाजी ना करे, अतिकमण ना करे एवं शांतिपूर्वक काश्त करने देवे।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गयी । बहस में वकील पक्षकारान ने उन्ही तथ्यों को दौहराया जो उनके द्वारा प्रार्थना पत्र, जवाबा प्रार्थना पत्र मय काउन्टर प्रार्थना पत्र एवं जवाब काउन्टर प्रार्थना पत्र में वर्णित किये गये है। प्रस्तुत पत्रावली में शामिल राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया । सम्पुर्ण पत्रावली का अध्ययन एवं मनन किया गया। उक्त वाद में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की रिकार्डेड आराजीयात भूमि लगवा एवं एक ही मेड पर होने से वाद उत्पन्न हुआ है। अप्रार्थी कम 1 ता 3 प्रार्थीगण के खाते की आराजी भूमि के 76 एयर हिस्से पर प्रार्थीगण को शांतिपूर्वक काश्त नही करने दे रहे है।

01. प्रथम दृष्टया मामला 02. अपूर्णनीय क्षति 03. सुविधा का संतुलन

1. **प्रथम दृष्टया मामला :** प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा खसरा नं. 1092 रकबा 1.15 है0 मे से 76 एयर पर अप्रार्थीगण नं. 1 ता 3 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा चाही है कि अप्रार्थीगण किसी भी प्रकार से उक्त आराजी पर कब्जा/अतिकमण/काश्त न करे और न ही प्रार्थीगण द्वारा काश्त करने पर दखलअंदाजी करे। उक्त आराजीयात पर प्रार्थीगण 25 वर्षो से काश्त करते आ रहे है ऐसी स्थिति में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर वादकरण को बढने से रोकना न्योयोचित होगा। प्रार्थीगण के विवदित आराजियात में हक अधिकार की घोषणा मूल वाद मे तय की जायेगी। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज0

Scanned by CamScanner

2. **अपूर्णनीय क्षति :** चूंकि अप्रार्थीगण व प्रार्थीगण के खाते की आराजीयात लगवा व एक ही मेड पर है। अप्रार्थीगण 1 ता 3 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर मौका स्थिति को यथास्थिति बनाए रखा जाना न्यायोचित होगा जिससे दोनो पक्षकार को भविष्य में अपने हक हिस्से की आराजी भूमि को कोई क्षति ना हो। ऐसी स्थिति में अपूरणीय क्षति बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।
3. **सुविधा का संतुलन :** चूंकि प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं अपूरणीय क्षति का बिंदु प्रार्थी के पक्ष में है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

अतः प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर प्रार्थना पत्र, जवाब काउन्टर प्रार्थना पत्र, द्विपक्षीय बहस वकील एवं राजस्व रिकोर्ड के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी कम 1 ता 3 के विरूद्ध ता फैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थी कम 1 ता 3 उक्त वर्णित प्रार्थीगण की आराजी खाता संख्या 311 खसरा नं. 1092 रकबा 1.15 है0 मे से 76 एयर पर प्रार्थीगण को शांति पूर्वक काश्त करने देवे किसी प्रकार की दखलअंदाजी न करे तथा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण रिकोर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखे। पत्रावली फैशल शुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न की जावें।

निर्णय आज दिनांक 16.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शत्रुघ्न सिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

Scanned by CamScanner